न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 50/2018
तारीख निर्णय – 26.02.2021
प्रार्थी :–

1. मोहनलाल गोदपुत्र पकारामजी आयु– 56 वर्ष
2. ओगडराम पुत्र दलाजी आयु– 64 वर्ष
3. गहरी बाई पत्नि उदाजी आयु– 72 वर्ष
4. स्व भोमा पुत्र राजा के कायम मुकाम वारिसान
   4/1 अशोक कुमार पुत्र भोमाजी, आयु– 26 वर्ष
   4/2 शंकरलाल पुत्र भोमाजी आयु– 41 वर्ष
   4/3 गीता पुत्री भोमाजी आयु–32 वर्ष
   4/4 फाउडी पुत्री भोमाजी आयु–45 वर्ष
   4/5 बदामी पुत्री भोमाजी आयु–36 वर्ष
   4/6 मन्जु पुत्री भोमाजी आयु–23 वर्ष
   4/7 सुकी पुत्री भोमाजी आयु–29 वर्ष
   4/8 हस्तुबाई पत्नि भोमाजी आयु–70 वर्ष
   4/9 सुन्दर पुत्री भोमाजी आयु–39 वर्ष
5. स्व भला पुत्र राजाजी के कायम मुकाम वारिसान
   5/1 बाबुलाल पुत्र भलाजी आयु–55 वर्ष
   5/2 हिम्मतमल पुत्र भलाजी आयु–45 वर्ष
   5/3 सुरेश कुमार पुत्र भलाजी आयु–40 वर्ष
   5/4 चुन्नीलाल पत्नि भलाजी आयु–81 वर्ष
   तमाम जाति–घॉची निवासीगण–सादडी तहसील–देसूरी जिला–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. रामा पुत्र पन्नाजी आयु–81 वर्ष
2. जसराज पुत्र वेनाजी आयु–57 वर्ष
3. स्व खेता पुत्र पन्नाजी के कायम मुकाम वारिसान
   3/1 मोहनलाल पुत्र खेताजी आयु–64 वर्ष
   3/2 सुखदेव पुत्र खेताजी आयु–51 वर्ष
   3/3 हिम्मतमल पुत्र खेताजी आयु–45 वर्ष
   3/4 करतु पुत्री खेताजी आयु–60 वर्ष
   3/5 दाखु पुत्री खेताजी [illegible] वर्ष
   3/6 अंशी पुत्री खेताजी आयु–42 वर्ष
   तमाम जातिगण के घांची [illegible] जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

उपस्थिति–
1– प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री शंकरलालमीणा उपस्थित।
2– अप्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री मनोहर दास वैष्णव।

–: निर्णय :– **दिनांक– 26.02.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सादडी चक प्रथम तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 2318 रकबा 0.75 हेक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2328 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गे.मु. बेरा, खसरा नम्बर 2330 रकबा 0.10 किस्म गे.मु. सडा, खसरा नम्बर 2331 रकबा 0.16 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2332 रकबा 0.35 किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल खसरा 06 कुल क्षैत्रफल 2.1100 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारान संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि विद्यमान है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा आता है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 1/10 वां हिस्सा , प्रार्थी संख्या 02 का 1/10 वां हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 की 1/10 वां हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 के तमाम वारिसान् का 1/10 वां हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 के वारिसान का 1/10 वां हिस्सा आता है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 के सभी वारिसान का 1/6 वां हिस्सा कानूनन आता है। उपरोक्त हिस्सोनुसार ही वादीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त हिस्सा अनुसार खातेदारी इन्द्राज दर्ज नहीं होने से सभी पक्षकारान के मध्य आपस में वाद विवाद होता रहता है जबकि माफिक वंश वंशावली विवरण अनुसार वादीगण व अप्रार्थीगण का कानूनन हिस्सा आता है और इन्ही हिस्सो मुताबिक सभी पक्षकार मौके पर अनुमान से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार हिस्सा दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण ने तमाम अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि उपरोक्त [illegible] अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करवा दी जावे लेकिन अप्रार्थीगण इस हेतु सहमत नहीं हुये और अलग–अलग जगह पर व्यवसाय करने से एक जगह [illegible] को हिस्सो में सुधार करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित हिस्सो अनुसार खातेदारी घोषणा का वाद पत्र पेश किया गया। उपरोक्त हिस्सों मुताबिक प्रार्थीगण के कब्जे में अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती बेदखल की कार्यवाही करते है तथा मौके से बेदखल करने की धमकी देने से खातेदारी घोषणा के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या एक लगाय तीन का 1/2 हिस्सा आता है और इन खातेदारों के भी आपस में उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार बंट व हक अधिकार आता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा नहीं किया गया है। सभी खातेदार अनुमान से खेती आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि कस्बा सादडी की आबादी भूमि के पास आई हुई होने से जमीन की किमत ज्यादा है जिस कारण बिना किसी विधिक बंटवाडा किये ही अप्रार्थीगण मौके पर मकान, दुकान बना रहे है एवं तारबन्दी व छीणे खडी कर रहे है जबकि आज दिन तक न तो मौके पर भौतिक रूप से वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बंटवाडा हुआ है न ही किसा बंटवाडे का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में कोई इन्द्राज दर्ज हुआ है।

यह कि वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा नहीं होने से पहले किसी खातेदार ने अनुमान से किसी टुकडे पर खेती कर फसल बो दी है, तो वह दूसरे खातेदार को अन्दर जाने से रोकता है साथ ही कोई खातेदार मौके की जमीन को अपने हिस्से की बताकर अन्य लोगो को किराये पर देने उतारू है। तो कोई खातेदार मौके पर जगह देखकर दुकान बनाने पर उतारू है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी को लेकर सभी पक्षकार के मध्य आपस में मनमुटाव रहता है व बिना वजह लडाई–जगडा होता रहता है। हाल ही में किसी ने कांटो की बाड को रोड तक खिचका दिया तो किसी ने तारबंदी कर दूसरे संयुक्त खातेदार का रास्ता ही बंद कर दिया। इस प्रकार आपस में विवाद को खत्म करने की नियत से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया की सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन बेरा की भूमि को छोडकर शेष आने वाली हिस्से को दो बराबर हिस्सों में बांटकर आधा हिस्सा प्रार्थीगण को व आधा हिस्सा अप्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया जावें तथा आधा–आधा बंट होने के बाद प्रार्थीगण अपने भाईयों का बंटवाडा कर लेंगे व अप्रार्थीगण अपने भाईयों का आपस में मिलकर कर देंगे। इस हेतु सभी पक्षकार सहमत नहीं होने से प्रार्थीगण के उपरोक्त वाद हिस्सों की घोषणा के बाद वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगाय तीन के मध्य किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने वाद बंटवाडा का पेश किया।

यह है कि वाद–पत्र के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कोई भी खातेदार अपनी मन मर्जी मुताबिक कोई भी निमार्ण कार्य करता है या किसी भी अनजान व्यक्ति को भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करता है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदरी हक हकूक व अपने बंट के खातेदारी हक हकूकों से वचित होना पडेगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से उपरोक्त वर्णित बंट अनुसार बंटवाडा करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण [illegible] वह बंटवाडा नहीं चाहते और अपनी मर्जी मुताबिक भूमि का उपयोग उपभोग [illegible] चाहते है और प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर अप्रार्थीगण द्वारा लड [illegible] होते है। इस वाद पत्र के निस्तारण तक कोई भी संयुक्त खातेदार या उसके हिदायत अनुसार अन्य अनजान व्यक्ति वादग्रस्त आराजी में कोई निमार्ण कार्य नहीं करें [illegible] वादग्रस्त आराजी का व्यवसायिक या अन्य कार्य में उपयोग में लेने हेतु कार्यवाही नहीं करें इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार है ओर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी हक हकूकों में रूकावट पैदा करते है प्रार्थीगण को खेती करने हेतु साधन ले जाने में रूकावट पैदा करते है ओर प्रार्थीगण के हिस्से पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती खेती कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता है साथ ही प्रार्थीगण को बिना कारण खेती से महरूम रखने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति के साथ साथ ज्यादा असुविधा हो रही है। चुंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त अराजी के संयुक्त खातेदार है ओर संयुक्त खातेदार होने के नाते उनका प्रत्येक इन्च भूमि पर हक व अधिकार आता है इस प्रकार प्रर्थीगण की बिना अनुमति अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी भूमि को बैचान हस्तान्तरण नहीं कर सकते है ओर निर्माण भी नहीं कर सकते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा सादडी चक प्रथम तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 2318 रकबा 0.75 हेक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2328 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गे.मु. बेरा, खसरा नम्बर 2330 रकबा 0.10 किस्म गे. मु. सडा, खसरा नम्बर 2331 रकबा 0.16 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2332 रकबा 0.35 किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल खसरा 06 कुल क्षैत्रफल 2.1100 हैक्टर भूमि की वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण, बेचान नहीं करें एवं इस भूमि पर किसी प्रकार का बिना विधिक बंटवाडे के निमार्ण कार्य नहीं करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील सुधीर कुमार श्रीमाली द्वारा वकालत नामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 ने जबाव प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौके पर संयुक्त कबजासुद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की नहीं है। गलत वाद प्रार्थीगण ने पेश किया है।

यह है कि राजा पुत्र चेलाजी तथा पन्ना पुत्र चेलाजी दोनो सग्गे भाई थे तथा प्रार्थीगण ने अपूर्ण वंशावली वर्णित की है। जबकि राजाजी एवं पन्नाजी की मृत्यु कब हुई तथा उन दोनों भाईयों के वारिसान के मध्य कब बंटवाडा हुआ वर्णित नहीं है जो जानबूझकर वर्णित नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वास्तव में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पूर्व में राजा पुत्र चेलाजी एवं पन्ना पुत्र चेलाजी घांची की थी। जिसमें [illegible] हिस्सा था। राजा पुत्र चेलाजी के प्रार्थीगण पोत्र, पडपोत्र है तथा पन्ना पुत्र चेलाजी के अप्रार्थीगण पुत्र पोत्र है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी व कब्जासूद है। आज से करीब 70-75 वर्षो से भी पूर्व राजा पुत्र चेलाजी एवं पन्ना पुत्र चेलाजी दोनों भाईयों ने मिलकर अपने जीवनकाल में सभी सम्पतियों का मौखिक पारिवारिक समझौता कर

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हिस्से पृथक–पृथक कर लिये थे। जिसके अनुसार वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी का भी हिस्सा दोनों भाईयों ने पृथक–पृथक कर लियो था। तब से लगायत आज तक यानि पिछले 70–75 वर्षो से आज तक प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण दोनों वादग्रस्त आराजी पर पृथक–पृथक रूप से काबिज–काश्त है। जिस संबंध में प्राथीगण के प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर चार में वर्णित अभिवचन "प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त करने आ रहे है" जिस अभिवचन से पूर्णतया साबित है। परन्तु प्रार्थीगण ने अपने अभिवचन में यह जानबुझकर तथ्य छिपाया है कि किनते वर्षो से, किस प्रकार से अगल–अलग काश्त करते आ रहे है।

जबकि स्व. राजा पुत्र चेलाजी एवं पन्ना पुत्र चेलाजी के जीवनकाल से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। जवाबदावा के साथ संलग्न नक्शा में वर्णित बरंगलाल भूमि (खसरा नम्बर 2318 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2331 व 2332 का दक्षिणी–पूर्वी हिस्सा) पर अप्रार्थीगण पिछले 70–75 वर्षो से अधिक समय से पृथक काबिज–काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रार्थीगण काबिज –काश्त है। बेरा व सडा खसरा नम्बर 2329, 2330 शामलाती रखा। आज से करीब 10–12 वर्षो पूर्व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड पृथक–पृथक कायम करवाने की सहमति होने पर मौके पर अलग–अलग काश्त अनुसार एकजुट हुए। जिस पर प्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल यह नक्शा बनवा कर लाया था। जिस पर बतौर स्वीकारोक्ति दोनों पक्षो ने हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान किये थे तथा जिसका असल नक्शा प्रार्थी संख्या एक को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद मौके पर अगल–अलग काश्त अनुसार दर्ज करवाने हेतु प्रदत्त किया था तथा अप्रार्थीगण के निवेदन पर एक फोटो प्रति उक्त नक्शे की प्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थीगण को प्रदत्त की थी। तत्पश्चात प्रार्थीगण की नियति में कुछ बदलाव आने से उन्होने टालमटोली करना शुरू किया था। तत्समय की नक्शा की प्रति को अप्रार्थीगण ने सुरक्षित रखा। अन्यथा नक्शा की प्रति जवाब का अभिन्न भाग विधिनुसार साक्ष्य में ग्राहय

जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित बरंगलाल भूमि पर अप्रार्थीगण का पिछले 70–75 वर्षो से पृथक –पृथक कब्जा–काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है। मौके पर सभी के पृथक–पृथक माठ, तारबंदी, पत्थर की पट्टिया खडी कर अलग–अलग हिस्से किये हुए है। उसके बाद अप्रार्थीगण के भी आपस में अगल–अलग काश्त मौके पर हो गये है। इसी प्रकार प्रार्थीगण प्रत्येक के भी अलग–अलग काश्त मौके पर विद्यमान है। जिस अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 05 स्व. भलाजी के वारिसान की दुकान [illegible] संख्या 3/1 का मकान भी उसके हिस्से की भूमि में बना हुआ है। संलग्न नक्शे में [illegible] एक्स स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 रामा पुत्र पन्नाजी का पृथक से अपने हिस्से [illegible] खुदा हुआ है। सभी अपने –अपने हिस्से में पृथक –पृथक रूप से काबिज होकर मनचाहा काश्त इत्यादि कर रहे है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि में सुधारात्मक कार्य कर रहे है। तथा आठ महीने पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की जमीन में शामलाती कुआ, सडा खसरा नम्बर 2329, 2330 से

पेज लगातार 06 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जानी वाली पानी की वेल एवं आवागमन रास्ता संलग्न नक्शे में मार्क पी से क्यू में अड़चन, अवरोध पैदा किया जाने लगा, तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से समझाईश करने की कोशिश की। परन्तु प्रार्थीगण नहीं माने एव प्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल ने वापस नये सिरे से बलपूर्वक बंटवाडा करने की अप्रार्थीगण को धमकी दी। जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि विवादित आराजी का पूर्ण हिस्से पृथक–पृथक आज से 70–80 वर्ष पूर्व हो चुके है। किसी प्रकार के विवाद की जरूरत नहीं है। तक भी प्रार्थीगण ने धमकिया दी एवं यह गलत वाद वास्तविकता, सत्यता के विपरीत गलत पेश किया है जिस पर मजबुरन अप्रार्थीगण को प्रति प्रार्थना पत्र (काउन्टर क्लेम) नक्शे में मार्क पी से क्यू पानी की वेल व रास्ता से संबंधित पेश किया है।

यह गलत है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण का पृथक–पृथक बंट या मौके पर सीमांकन पृथक–पृथक किया हुआ विद्यमान नहीं हो। यह भी गलत है कि सभी खातेदार/पक्षकारारान अनुमान से खेती करते आ रहे है। यह भी गलत है कि मौके पर विवादित आराजी में दुकाने व मकान मनमर्जी से बनाए है। जबकि दुकानें तो प्रार्थीगण की स्वयं की बनी हुई है।

यह गलत है कि अनुमान से खातेदारों ने खेती बोई हो तथा किसी खातेदार ने रोका है। यह भील गलत है कि तारबंदी भी सहखातेदार अनुमान से की हो। यहां यह भी विधिक रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र की प्लेडिंग अनुमान से नहीं हो सकती तथा न ही किसी भी पक्षकार के विरूद्व अनुमान से अभिवचन किये जा सकते है। किसने, किस प्रकार व कब कृत्य किया है उसका स्पष्ट रूप से अभिवचन होना आवश्यक है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है।

यह गलत है कि अप्रार्थीगण बंटवाडा हेतु तैयार नहीं हो। अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार लडाई–झगडा करने हेतु उतारू नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य वर्णित किये है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या नौ में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है।

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रति प्रार्थना पत्र (काउन्टर क्लेम) अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के पेश किया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पूर्व में राजा पुत्र चेलाजी एवं पन्ना पुत्र चेलाजी घांची की थी। जिसमें दोनो का 1/2 हिस्सा था। राजा पुत्र चेलाजी के प्रार्थीगण पोत्र, पडपोत्र है तथा पन्ना पुत्र चेलाजी के अप्रार्थीगण पोत्र है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा ... काबिज व कब्जासुद है। आज से करीब 70–75 वर्षो से भी पूर्व राजा पुत्र चेलाजी एवं पन्ना पुत्र चेलाजी दोनों भाईयों ने मिलकर अपने जीवनकाल में सभी सम्पतियों का मौखिक पारिवारिक समझौता कर हिस्से पृथक–पृथक कर लिये थे। जिसे अनुसार वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी का भी हिस्सा दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी, पाली

भाईयों ने पृथक–पृथक कर लियो था। तब से लगाय आज तक यानि पिछले 70–75 वर्षों से आज तक प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण दोनों वादग्रस्त आराजी पर पृथक–पृथक रूप से काबिज–काश्त है।

स्व. राजा पुत्र चेलाजी एवं पन्ना पुत्र चेलाजी के जीवनकाल से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। जवाबदावा के साथ संलग्न नक्शा में वर्णित बरंगलाल भूमि (खसरा नम्बर 2318 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2331 व 2332 का दक्षिणी–पूर्वी हिस्सा) पर अप्रार्थीगण पिछले 70–75 वर्षो से अधिक समय से पृथक काबिज–काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रार्थीगण काबिज –काश्त है। बेरा व राडा खसरा नम्बर 2329, 2330 शामलाती रखा। आज से करीब 10–12 वर्षो पूर्व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड पृथक–पृथक कायम करवाने की सहमति होने पर मौके पर अलग–अलग काश्त अनुसार एकजुट हुए। जिस पर प्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल यह नक्शा बनवा कर लाया था। जिस पर बतौर स्वीकारोक्ति दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान किये थे तथा जिसका असल नक्शा प्रार्थी संख्या एक को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद मौके पर अगल–अलग काश्त अनुसार दर्ज करवाने हेतु प्रदत्त किया था तथा अप्रार्थीगण के निवेदन पर एक फोटो प्रति उक्त नक्शे की प्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थीगण को प्रदत्त की थी। तत्पश्चात प्रार्थीगण की नियति में कुछ बदलाव आने से उन्होने टालमटोली करना शुरू किया था। तत्समय की नक्शा की प्रति को अप्रार्थीगण ने सुरक्षित रखा। जिसके आधार पर ही एवं मौके पर पृथक–पृथक काश्त अनुसार ही अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित बरंगलाल भूमि पर अप्रार्थीगण का पिछले 70–75 वर्षो से पृथक –पृथक कब्जा–काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है। मौके पर सभी के पृथक–पृथक माठ, तारबंदी, पत्थर की पट्टिया खडी कर अलग–अलग हिस्से किये हुए है। उसके बाद अप्रार्थीगण के भी आपस में अगल–अलग काश्त मौके पर हो गये है। इसी प्रकार प्रार्थीगण प्रत्येक के भी अलग–अलग काश्त मौके पर विद्यमान है। जिस अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 05 स्व. भलाजी के वारिसान की दुकाने भी बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 3/1 का मकान भी उसके हिस्से की भूमि में बना हुआ है। संलग्न नक्शें मे मार्क एक्स स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 रामा पुत्र पन्नाजी का पृथक से अपने हिस्से में ट्यूबवेल भी खूदा हुआ है। सभी अपने –अपने हिस्से में पृथक –पृथक रूप से काबिज होकर मनचाहा काश्त इत्यादि कर रहे है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि में सुधारात्मक कार्य कर रहे है। तथा आठ महीने पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की जमीन व शामलाती ... खसरा नम्बर 2329, 2330 से जानी वाली पानी की वेल एवं आवागमन रास्ता ... नक्शे में मार्क पी से क्यू में अडचन, अवरोध पैदा किया जाने लगा, तब अप्रार्थीगण ... से समझाईश करने की कोशिश की। परन्तु प्रार्थीगण नहीं माने एवं प्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल ने वापस नये सिरे से बलपूर्वक बंटवाडा करने की अप्रार्थीगण को धमकी दी। जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि विवादित आराजी का पूर्ण हिस्से पृथक–पृथक आज से 70–80 वर्ष पूर्व हो चुके

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

है। किसी प्रकार के विवाद की जरूरत नहीं है। तक भी प्रार्थीगण ने धमकिया दी एवं यह गलत वाद वास्तविकता, सत्यता के विपरीत गलत पेश किया है जिस पर मजबुरन अप्रार्थीगण को प्रति प्रार्थना पत्र(काउन्टर क्लेम) नक्शे में मार्क पी से क्यू पानी की वेल व रास्ता से संबंधित पेश किया है।

प्रति प्रार्थना पत्र के निर्णय में काफी समय लगेगा, तब तक प्रार्थीगण अपने गलत मकसद में कामयाब हो जावेगें, जिससे तुरन्त ही जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को रोकना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण बलपूर्वक जबरदस्ती अप्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में पानी की वेल में व आवागमन हेतु रास्ता मे दखल करने हेतु उतारू है। जिससे तुरन्त ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थीगण को रोकना अतिआवश्यक है।

अतः वादग्रस्त आराजी का भाग गैर मुमकिन बेरा, सडा, खसरा नम्बर 2329, 2330 से अप्रार्थीगण की भूमि में सिंचाई हेतु पानी की वेल एवं आवागमन हेतु रास्ता मार्क पी से क्यू को यथावत मूल प्रति प्रार्थना पत्र के निर्णय तक खूला रखवाया जावें था प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे एवं अवरोध/बाधा प्रार्थीगण द्वारा किये जाने पर हटवाई जावे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली कर एक प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। जिस संबंध में वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के प्रति प्रार्थना पत्र

(काउण्टर क्लेम) का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रति प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 के विवरण अनुसार राजा व पन्ना पुत्र चेलाजी का 1/2, 1/2 हिस्सा होना एवं प्रार्थीगण राजाजी के पौत्र व पडपौत्र तथा अप्रार्थीगण पन्नाजी के पुत्र व पौत्र होना स्वीकार है, लेकिन आज से 70–75 वर्ष पूर्व राजाजी व पन्नाजी के मिलकर अपने जीवनकाल में सभी सम्पतियों का मौखिक पारिवारिक समझौता कर हिस्से पृथक–पृथक किये जाने के तमाम कथन सरासर गलत है। राज. काश्त. अधिनियम के कानूनन स्थिति के अनुसार अगर 70–75 वर्षो पूर्व प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वज अलग–अलग खातेदार काबिज होते तो सद्भाविक रूप से दोनों अलग–अलग खातेदार दर्ज होते लेकिन ऐसा नहीं होकर संयुक्त खातेदारी दर्ज होना व तब से लगाकर संवत् 2040 में हुये दुबारा भू–प्रबंध(सेटलमेन्ट) के दौरान भी संयुक्त खातेदारी दर्ज होने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स आज दिन तक कोई बंटवाडा नहीं हुआ है।

यह कि राजाजी व पन्नाजी के जीवनकाल मे अलग–अलग काश्त करने के कथन से गलत है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित लाल भूमि केवल आबादी भूमि के पास की भूमि जो बहुमूल्य भूमि है, जिस भूमि को हडपने करने की नियत से अप्रार्थीगण ने गलत नक्शा बनाकर अपनी भूमि दर्शाकर यह नक्शा पेश किया है जो सरासर गलत है। ऐसा कोई भी नक्शा प्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल ने बनवाकर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर नहीं करवाये, यह नक्शा अप्रार्थीगण ने सरासर गलत तैयार किया है और गलत रूप से नक्शे की फोटो प्रति को अप्रार्थीगण ने प्राप्त करना वर्णित किया है। राजस्व रेकर्ड

पेज लगातार 09 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मे संयुक्त खातेदारी भूमि का प्रार्थना – पत्र के पद संख्या चार अनुसार हिस्सा कशी सही कर उन हिस्सानुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किये जाने पर रेकार्ड मे अलग–अलग इन्द्राज करवाने हेतु प्रार्थीगण ने पहल की है जबकि अप्रार्थीगण की नियत बंटवाडा करवाने की नही है। इस प्रकार गलत नक्शा पेश कर बंटवाडा नही करवाने की नियत से प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिस नक्शे को प्रार्थीगण अस्वीकार करते है।

वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिस कारण प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के बंटवाडे का वाद पेश किया है। मौके पर पृथक–पृथक न तो कोई माठ है न ही कोई तारबंदी है पत्थर की पटटीया खडी कर बिना बंटवाडे कब्जा करने की नियत से अगल –अलग खातेदार अलग–अलग हक जमाते है। अप्रार्थीगण ने स्व. भलाजी के वारिसान व मोहन वगैरा एवं राजाजी पन्नाजी के पृथक–पृथक हिस्से व उस पर निमार्ण कार्य को सरासर गलत बताया है। वादग्रस्त भूमि का नाप व सीमांकन कर प्रार्थना –पत्र के पद संख्या चार मे वर्णित हिस्सों अनुसार बंटवाडा आज दिन तक भूमिधारी अप्रार्थीगण संख्या 03 की सहमति से नहीं हुआ है तथा राजस्व काश्तकारी अधिनियम में केवल भूमिधारी की सहमति से ही बंटवाडा किये जाने पर वैध होता है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा सहमति से नही होने के कारण ही प्रार्थीगण को वाद–पत्र पेश कर बंटवाडा एवं वादग्रस्त आराजी में हिस्सा कसी घोषित करवाने हेतु वाद पेश करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

अप्रार्थीगण द्वारा बार–बार यह बताना की 70–80 वर्षो पूर्व बंटवाडा किया जाकर पृथक–पृथक काबिज चले आ रहे है जो सत्यता से बिल्कुल परे है। अप्रार्थीगण ने जो नक्शा बनाकर पेश किया है उसमें प्रत्येक खातेदार के आने–जाने के रास्ते , पानी की वेल बाबत भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित हिस्सों की घोषणा के बाद नाप व सीमांकन कर बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण एक तरफ यह कहते है कि 70–80 पूर्व बंटवाडा हो चुका है और दूसरी तरफ केवल नक्शे मे मार्क पी से क्यू पानी की वेल व रास्ते से संबंधित प्रतिवाद व प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है चूंकि जब तक सम्पूर्ण खातेदारी भूमि की हिस्सा कशी सही दर्ज नही होती है और उस अनुसार नाप व सीमांकन कर सयुक्त खातेदारी का विभाजन नही हो जाता तब तक रेकर्ड अलग–अलग नही होता तक तक अप्रार्थीगण का केवल इस आशय का काउण्टर क्लेम की पानी की वेल व रास्ते अप्रार्थीगण को दिये जावे स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रति प्रार्थना पत्र का पद संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण जब बंटवाडा करवाने हेतु सहमत [illegible] मे सयुक्त खातेदारी भूमि मे अलग से पानी की वेल व आवागमन के रास्ते [illegible] निषेधाज्ञा की मांग कर रहे है ऐसी मांग स्वीकार किये जाने योग्य [illegible] पत्र प्रथम दृष्टया चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज है। एक सहखातेदार को दूसरा सहखातेदार पानी की वेल व रास्ते मे रूकावट पैदा करने के उद्देश्य से कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। जिस कारण अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना

पेज लगातार 10 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक एवं न्यायासंगत है। अतः जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में वकुलाय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– वकील प्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा नही किया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा विद्यमान है। सभी खातेदार अनुमान से खेती करते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि कस्बा सादडी की आवादी के पास आयी हुई स्थित होनेसे जमीन की किस्म ज्यादा है जिस कारण बिना बंटवाडा किये ही अप्रार्थीगण मौके पर मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, कोई तारबन्दी कर रहा है। जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी हक हकुको में रूकावट पैदा करते है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को आज से 70–75 वर्ष के पूर्व मौखिक बंटवाडा होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पृथक पृथक कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की जमीन में शामलाती कुआ, सडा खसरा नम्बर 2329, 2330 से जाने वाली पानी की वेल एवम् आवागमन रास्ता में अडचन, अवरोध पैदा कर रहे है। अतः प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 2329, 2330 से अप्रार्थीगण की भूमि में सिचाई हेतु पानी की वेल एवम् आवागमन हेतु रास्ता नक्शे में मार्क पी से क्यू को यथावत खुला रखवाया जावे जिस हेतु प्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।

प्रथम दृष्टया मामला पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। उपर्युक्त वादग्रस्त आराजियात वर्तमान राजस्व भू–अधिकारों में प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण व अन्य खातेदार की संयुक्त आधिपत्य की अविभाजित खातेदारी भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार व सहखातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई [illegible] जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीगण के अ[illegible] द्वारा बहस मे कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर कोई भी [illegible] कोई भी निर्माण कार्य करता है या किसी भी अनजान व्यक्ति को [illegible] का बेचान हस्तान्तरण करता है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकार से वंचित [illegible] पडेगा। साथ ही प्रार्थीगण को बिना कारण खेती से मेहरूम रखने पर प्रार्थीगण को सुविधा हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 11 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं की जा रही है जिससे की प्रार्थी को ज्यादा असुविधा व विवाद बढ़े। अप्रार्थीगण पिछले 70–75 वर्षो से अधिक समय से पृथक काबिज–काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रार्थीगण काबिज –काश्त है। बेरा व सडा खसरा नम्बर 2329, 2330 शामलाती रखा। आज से करीब 10–12 वर्षो पूर्व भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड पृथक–पृथक कायम करवाने की सहमति होने प्रार्थी संख्या 1 ने नक्शा बनाया, जिस पर बतौर स्वीकारोक्ति दोनो पक्षों के हस्ताक्षर है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ने अपने अपने हिस्सा पर काश्त व सुधारात्मक कार्य कर रहे है।

प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन में किया प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी आराजी के सयुक्त खातेदार है और अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों में रूकावट पैदा करते है और प्रार्थीगण के हिस्से पर जबरदस्ती खेती अप्रार्थीगण कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए व्यक्त किया है कि खातेदारो का मध्य आपसी बंटवाडा हो रखा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों में किसी प्रकार दखलन्दाजी नही की है। जबकि प्रार्थीगण बलपूर्वक जबरदस्ती अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में पानी की वेल में व आवागमन हेतु रास्ता में दखल करने हेतु उतारू है।

जिससे यदि विवादित आराजियात के संबध में प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड के अनुसार सयुक्त खातेदार है और सयुंक्त खातेदार होने के नाते उनका प्रत्येक इचं भूमि पर हकव अधिकार आता है। तथा इस स्तर पर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नक्शा के संबंध में निस्तारण नही किया जा सकता है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के ऐसी किसी अपूरणीय हानि नही हो रही है जिसकी भरपाई रूपयो–पैसो से नही की जा सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों [illegible] प्रार्थीगण एवम अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय की राय में प्रार्थी का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएव

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 12 पर..

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत व अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र (काउण्डर क्लेम) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक—26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:47 IST
Reason: SelfAttested